न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–20/2020–21

सरयू साव .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदक सरयू साव, पिता– सुखन साव, ग्राम + पो0– हेसला, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **66 R27/2018-19** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
हेसला	104	22	573	14.75 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **66 R27/2018-19** में दिनांक 31.05.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि ऑनलाईन पंजी 2 विक्रेता के नाम से जमाबंदी से रकवा कम दर्ज है सही रकवा दर्ज नहीं रहने के कारण इस दाखिल खारिज को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कारण पृच्छा में उक्त भूमि से ऑनलाईन पंजी 2 की प्रविष्टी में सुधार कर प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **66 R27/2018-19** में दिनांक 31.05.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)